तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 4071 / 2020 / सीकर** **मूलचन्द बनाम प्रहलाद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय **दिनांकः 25.01.2021**

हस्तगत निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के आदेश दिनांक 19–10–2020 अपील सं0 06/2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19–10–2020 में अंकित किया कि अपील दर्ज रजिस्टर हो। वकील अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना द्वारा प्रकरण सं0 26/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21–09–2020 की क्रियान्विति आगामी तिथि तक स्थगित की जाती है। रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी हो। तहत की पत्रावली तलब हो। पत्रावली वास्ते तलब दिनांक 23–11–2020 को पेश हो।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्राथमिक आपत्ति निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त की जावें पर सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त उनवानी निगरानी भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–2020 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो आदेश अंतिम आदेश न होकर एक अन्तरिम आदेश है और अन्तरिम आदेश के विरूद्ध मण्डल में निगरानी पोषणीय नहीं है जो इसी स्तर पर खारिज की जावें।

4– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में कथन किया कि धारा 128 के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय/आदेश के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विद्वान अपीलीय न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व शक्तियां प्राप्त नहीं होते हुए भी उन्होंने अपील को दर्ज रजिस्टर का आदेश जैर निगरानी दिनांक 19–10–2020 को पारित कर दिये

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 4071 / 2020 / सीकर** **मूलचन्द बनाम प्रहलाद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जो मूलतः न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–2020 को निरस्त किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को सुनवाई की शक्तियां राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के द्वारा विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से धारा 96 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को मय अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। 5–हमने प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं निगरानीधीन आदेश का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19–10–2020 में अंकित किया कि अपील दर्ज रजिस्टर हो। वकील अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना द्वारा प्रकरण सं0 26/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21–09–2020 की क्रियान्विति आगामी तिथि तक स्थगित की जाती है। रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी हो। तहत की पत्रावली तलब हो। 6–प्रथम दृष्ट्या उक्त आदेश एक अन्तरिम आदेश प्रतीत होता है लेकिन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील का श्रवणाधिकार विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी का नहीं है जिससे स्पष्ट है कि विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी विधिक त्रुटि की गई है जिसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय है। 7– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी दोनों अधीनस्थ रेकार्ड में दिनांक 16–02–2021 को किसी भी एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	